मंडल कार्यालय आदेश 16/2025

पत्र स. 393-W/M1/Instruction/Vol-III दिनांक – 30.05.2025

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक एवं
मुख्य क्रयू नियंत्रक जोधपुर, मेडता रोड
समस्त लोको पायलट, सहायक लोको पायलट एवम् शंटर ।

विषय – SPAD at LUSA station/prayagraj Div/NCR on 23.05.2025
ट्रेन संचालन के दौरान मोबाइल फोन के प्रयोग की निगरानी संबंधी निर्देश

सन्दर्भ – 1. HQ L.no- M/D&R/140/5/SPAD Dated 22.05.2025
2. EXCU. Dir. Elect. Engg.(RS)-(I)RBs Letter no 2025/Elect(TRS)/138/1(BD Mtg) Dated 07.05.2025
3. Telecom circular no. 14/2012 letter no.2010/Tele/2(1)/1Pt. date 27/12/2012

*****

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार सभी मुख्य लोको निरीक्षको को निर्देश दिये जाते है कि अपने नॉमित तथा अन्य रनिग स्टाफ को संदर्भित पत्र के केस बारे में बताये तथा पत्र के सभी और निम्न मदों पर काउंसलिंग करे तथा उनके द्वारा किये जा रहे मोबाइल फोन के प्रयोग को जांचने के लिए प्रतिदिन अम्बुश चेक करे तथा प्रत्येक माह इसकी समरी जिसमे पाई गयी कमियों और की गयी कार्यवाही के साथ PCDO के साथ सबमिट करे ।

- LP/ALP/LPS/TW-LP "साइन ऑन करते समय अपने पास उपलब्ध व्यक्तिगत मोबाइल / टेलीफोन/सिम (नंबर और ऑपरेटर) के बारे में सीएमएस में एक घोषणा (डिक्लेरेशन) देंगे।
- यदि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) से या औचक जांच के दौरान यह पाया जाता है कि सीयूजी/व्यक्तिगत मोबाइल फोन का अनाधिकृत रूप से उपयोग किया गया है, तो LP/ALP/LPS पर D&AR के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- LP/ALP/LPS/TW-LP अपने मोबाइल फोन (सीयूजी और व्यक्तिगत) को ड्यूटी के दौरान अपने बैग बॉक्स में बंद स्थिति में रखेंगे ।
- LP/ALP/LPS ड्यूटी के दौरान अपने सीयूजी मोबाइल फोन का उपयोग केवल आपात स्थिति में ही कर सकते हैं जैसे दुर्घटना या विफलता की स्थिति में सहायता के लिए कॉल करना।
- ड्यूटी के दौरान यदि सीयूजी मोबाइल फोन का उपयोग किया जाता है तो उसकी आवश्यकता का कारण साइन ऑफ करते समय लॉबी में रखे गए रजिस्टर में आवश्यक रूप से दर्ज किया जाये।
- ड्यूटी के दौरान CUG फोन के अतिरिक्त निजी मोबाइल का प्रयोग प्रतिबंधित है।
- LP/ALP/LPS और ट्रेन मेनेजर एक-दूसरे के साथ और स्टेशन मास्टर के साथ संचार करने के लिए हमेशा वॉकी-टॉकी/वीएचएफ सेट का उपयोग करेंगे ।
- यदि आपातकालीन प्रयोजनों के लिए लोको पायलट से संपर्क करना आवश्यक हो, तो संबंधित अधिकारी/नियंत्रक गार्ड या स्टेशन मास्टर से सीयूजी मोबाइल फोन पर संपर्क कर सकते हैं और गार्ड/स्टेशन मास्टर वॉकी टॉकी सेट पर लोको पायलट को संदेश दे सकता है।
- फुटप्लेट पर निरीक्षण करने वाले सुपरवाइजर को अपने मोबाइल फोन को "साइलेंट मोड" में रखना चाहिए और आपात स्थिति को छोड़कर मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचना चाहिए, ताकि लोको पायलट का ध्यान न भटके।

CPCR/CCRC/CLI के लिए निर्देश

- कंट्रोल में प्रत्येक शिफ्ट में क्रू पीसीआर 5 रनिंग कर्मचारियों को रेण्डम चेक के लिए उनके मोबाइल पर फोन करेंगे तथा अनुचित ओन मिलने पर इसकी रिपोर्ट बनाकर भेजे तथा इसका रिकॉर्ड रजिस्टर में रखेंगे और माह के अंत में सलंग्र फोर्मेट के अनुसार भेजे
- लोबी में प्रत्येक शिफ्ट में क्रू कंट्रोलर 5 रनिंग कर्मचारियों को रेण्डम चेक के लिए उनके सीयूजी और निजी मोबाइल पर फोन करेंगे तथा अनुचित ओन मिलने पर इसकी रिपोर्ट बनाकर भेजे तथा इसका रिकॉर्ड रजिस्टर में रखेंगे और माह के अंत में सलंग्र फोर्मेट के अनुसार भेजे

संलग्न - संदर्भित पत्र ।

वरि.मं.यॉं.इंजी (P/EnHM)
उ.प.रेलवे, जोधपुर ।

प्रतिलिपि-

अपर मंडल रेल प्रबंधक- सादर सूचनार्थ ।
सहा.मं.यॉं.इंजी (P/EnHM) आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।